



2026:AHC: 6896-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस संख्या- 611/2025

सागर

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता  | : मनीष पाण्डेय    |
| प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता | : शासकीय अधिवक्ता |

### न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

1- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- प्रस्तुत आपराधिक अपील में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-307 वर्ष 2024 (राज्य बनाम भूरे वाल्मीकि) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2025 को चुनौती दिया गया है, जो थाना नागफनी, जनपद मुरादाबाद के मुकदमा अपराध संख्या - 07 वर्ष 2024, धारा 302 भा.द.सं. और धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत है, जिसके द्वारा अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त विपक्षी संख्या 2 को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

3- वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी-सूचनादाता, जो विपक्षी संख्या 2 का पुत्र है, ने थाना नागफनी, जनपद मुरादाबाद में एक लिखित रिपोर्ट/तहरीर (प्रदर्श क-1) दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि वह भूरे (विपक्षी संख्या 2) का पुत्र है। पिछले कुछ दिनों से वह अपने पूरे परिवार के साथ दौलतबाग वाल्मीकि बस्ती स्थित अपने जीजा के घर पर रह रहा है, वे तीन भाई-बहन हैं। उसकी माता और पिता ने लगभग 10 वर्ष पहले छोटू को गोद लिया था, जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष है। उक्त छोटू का देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसकी माता छोटू से बहुत प्यार करती थी और उसका ख्याल वैसे ही रखती थी, जैसे वह हमारे लिए रखती थी। इस कारण पिता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भूरे (विपक्षी संख्या 2) उसकी माता श्रीमती बेबी से ईर्ष्या करते थे और वे अक्सर इस मामले पर झगड़ा करते थे। दिनांक 09.01.2024 को वे सभी (परिवार के सदस्य) काम पर गए थे, उसके दोनों माता-पिता घर पर थे, शाम लगभग 06:00 बजे जब वह और उसका जीजा विमल घर लौटे, तो उसके पिता घर से जा रहे थे। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, उसने अपनी माँ श्रीमती बेबी को कमरे में फर्श पर खून से लथपथ और कई चोटों के साथ पड़ा देखा। उसने तुरंत शोर मचाया और पड़ोस के लोग आ गए। फिर वह अपनी माँ को एम्बुलेंस में जिला अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके पिता भूरे (विपक्षी संख्या 2) ने उसकी माँ पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया है।

4- अपीलार्थी की उपरोक्त लिखित रिपोर्ट/तहरीर (प्रदर्श क-1) पर, अभियुक्त भूरे वाल्मीकि के विरुद्ध दिनांक 09.01.2024 को थाना नागफनी, जनपद मुरादाबाद में मुकदमा अपराध संख्या - 07 वर्ष 2024, धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की गई। तत्पश्चात विवेचना अधिकारी ने विवेचना शुरू किया और घटना स्थल का नक्शा-नजरी तैयार किया, और साक्षियों के बयान दर्ज किए। विवेचना के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पर कथित हत्या का हथियार चाकू बरामद किया गया और तदनुसार आयुध अधिनियम की धारा 4/25 जोड़ी गई। अभियुक्त भूरे वाल्मीकि के विरुद्ध न्यायालय में धारा 302 भा.द.सं. और धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उक्त आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया गया और वाद सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

5- दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भा.द.सं. और धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। हालांकि, अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया।

6- अपना प्रकरण सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने पी.डब्ल्यू.-1 सूचनादाता सागर (मृतक का पुत्र), पी.डब्ल्यू.-2 दीपिका (मृतक की पुत्री), पी.डब्ल्यू.-3 विमल (मृतक का दामाद), पी.डब्ल्यू.-4 हेड मुहरीर अजब सिंह (चिक एफ.आई.आर. के लेखक), पी.डब्ल्यू.-5 डॉ. योगेंद्र सिंह लांबे (शव-परीक्षण सर्जन), पी.डब्ल्यू.-6 उ.नि. अंकुर मलिक (साक्षी, जिन्होंने पंचायतनामा तैयार किया), पी.डब्ल्यू.-7 चमन सिंह (विवेचना अधिकारी) और पी.डब्ल्यू.-8 शिवा उर्फ छोटू (मृतक का कथित दत्तक पुत्र) को परीक्षित किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण ने अपने संबंधित मौखिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्ष्य दिए हैं और 17 अभियोजन पत्रों तथा 8 भौतिक वस्तुओं को भी सिद्ध किया, जिन्हें प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया था। जिसे नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

| क्रम संख्या   | नाम                     | साक्ष्य की प्रकृति                                                       | सिद्ध किए गए दस्तावेज                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पी.डब्ल्यू.-1 | सागर                    | सूचनादाता (मृतक का पुत्र) और तथ्य का साक्षी।                             | लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के रूप में।                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पी.डब्ल्यू.-2 | दीपिका                  | मृतक की पुत्री और तथ्य की साक्षी।                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पी.डब्ल्यू.-3 | विमल                    | मृतक का दामाद और तथ्य का साक्षी।                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पी.डब्ल्यू.-4 | हेड मुहर्निर अजब सिंह   | औपचारिक साक्षी, जिसने चिक एफ.आई.आर. तैयार की और जी.डी. में प्रविष्टि की। | एफ.आई.आर. प्रदर्श क-2 के रूप में और कायमी जी.डी. संख्या 61 प्रदर्श क-3 के रूप में।                                                                                                                                                                                                                       |
| पी.डब्ल्यू.-5 | डॉ. योगेंद्र सिंह लांबे | शव-परीक्षण सर्जन।                                                        | मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-4 के रूप में।                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पी.डब्ल्यू.-6 | उ.नि. अंकुर मलिक        | औपचारिक साक्षी जिसने पंचायतनामा की कार्यवाही संचालित की।                 | पंचायतनामा (पंचायतनामा आख्या प्रदर्श क-5 के रूप में, पुलिस सूचना प्रदर्श क-6 के रूप में, पत्र आर.आई. प्रदर्श क-7 के रूप में, पत्र सी.एम.ओ. प्रदर्श क-8 के रूप में, फोटो-नाश प्रदर्श क-9 के रूप में, पुलिस फॉर्म प्रदर्श क-10 के रूप में, कागज़ नंबर 5/18 नमूना सील प्रदर्श क-11 के रूप में, चाकू का फर्द |

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



| क्रम संख्या   | नाम            | साक्ष्य की प्रकृति        | सिद्ध किए गए दस्तावेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                |                           | बरामदगी प्रदर्श क-12 के रूप में)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पी.डब्ल्यू.-7 | चमन सिंह       | विवेचना अधिकारी।          | नक्शा-नजरी प्रदर्श क-13 के रूप में, कपड़ा (जिसमें चाकू रखा गया था) वस्तु प्रदर्श-1 के रूप में, चाकू वस्तु प्रदर्श-2 के रूप में, स्वैब के संबंध में कपड़ा वस्तु प्रदर्श-3 के रूप में, सादे कपास स्वैब की पॉलिथीन वस्तु प्रदर्श-4 के रूप में, रक्त स्वैब की पॉलिथीन वस्तु प्रदर्श-5 के रूप में, प्लास्टिक बॉक्स भौतिक प्रदर्श-6 के रूप में, मोबाइल वस्तु प्रदर्श-7 और 8 के रूप में, उस स्थान का नक्शा-नजरी जहाँ से हथियार बरामद हुआ था प्रदर्श क-14 के रूप में, आरोप-पत्र प्रदर्श क-15 के रूप में, मौके पर गिरफ्तारी फर्द प्रदर्श क-16 के रूप में, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श क-17 के रूप में। |
| पी.डब्ल्यू.-8 | शिवा उर्फ छोटू | मृतक का कथित दत्तक पुत्र। | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

7- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद, अभियोजन द्वारा विश्वास की गई सभी विपरीत/दोषारोपकारी परिस्थितियों को द.प्र.सं. की धारा 313 के अधिदेश के अनुसार घटना के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



उसके संस्करण के लिए प्रश्न-उत्तर के रूप में अभियुक्त को बताया गया। अभियुक्त ने उसे बताए गए, उन सभी प्रतिकूल/दोषारोपकारी तथ्यों से इनकार किया और कहा कि अभियोजन का वाद झूठा है, वह निर्दोष है और उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं किया है। विमल और सागर ने उसकी पत्नी की हत्या की थी। घटना के दिन वह हल्द्वानी में था और पुलिस ने उसे हल्द्वानी से पकड़ा है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए हल्द्वानी पहुँची, तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। विमल ने उसकी पत्नी बेबी को 5 लाख रुपये देने का वादा किया था, क्योंकि बेबी ने उन लोगों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, जिनके कब्जे में विमल का घर था, ताकि उक्त घर खाली कराया जा सके। उक्त प्रकरण पुलिस स्टेशन में ही सुलझ गया था और उसने (विमल ने) उसे 5 लाख रुपये देने का वादा किया था। जब बेबी ने 5 लाख रुपये मांगे, तब विमल ने उसकी हत्या कर दिया। उसने कोई अपराध नहीं किया है।

8- आक्षेपित निर्णय दिनांक 11.08.2025 द्वारा, अवर न्यायालय ने अभियुक्त-विपक्षी को धारा 302 भा.द.सं. और धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है। इस प्रकार, अवर न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर, सूचनादाता-अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील दायर किया गया है।

9- हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य-विपक्षी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

10- वर्तमान वाद में, सूचनादाता-अपीलार्थी अभियुक्त का पुत्र है, जिसने अपनी माँ की हत्या के लिए अपने पिता के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराया है। वर्तमान वाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। स्वीकार्य रूप से परीक्षित अभियोजन साक्षीगण में से कोई भी हत्या का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। हालांकि, सूचनादाता-अपीलार्थी सागर पी.डब्ल्यू.-1 और विमल पी.डब्ल्यू.-3 वे साक्षी हैं, जिन्होंने अभियुक्त-विपक्षी को अपने घर से निकलते हुए देखा है और घर में प्रवेश करने पर, उन्होंने मृतक श्रीमती बेबी को फर्श पर खून से लथपथ और कई चोटों के साथ पड़ा देखा। इसलिए, अभियोजन का वाद इन दो साक्षीगण अर्थात् पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-3 की गवाही पर टिका है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद अभियुक्त-विपक्षी को अपने घर से बाहर आते देखा और उसके बाद, जब दोनों साक्षीगण ने अपने घर में प्रवेश किया, तो उन्होंने मृतक को बुरी तरह घायल पाया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11- दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि दो विचार संभव हैं, एक दोषमुक्ति का समर्थन करता है और दूसरा दोषसिद्धि का संकेत देता है, तो उच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय द्वारा दर्ज दोषमुक्ति के आदेश को नहीं उलटना चाहिए। हालांकि, एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के प्रकरण में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा होती है। प्रथम, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत उसे निर्दोष होने की उपधारणा उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा, जब तक कि वह विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध न हो जाए। द्वितीय, अभियुक्त द्वारा अपनी दोषमुक्ति सुरक्षित करने के बाद, उसकी निर्दोषता की उपधारणा को अवर न्यायालय द्वारा और अधिक पुष्ट, पुनः पुष्टि और सुदृढ़ किया जाता है। यह भी अवलोकन किया गया है कि अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दर्ज किया जा सकने वाला एकमात्र निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त का दोष उचित संदेह से परे सिद्ध हुआ था और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था।

12- सर्वोच्च न्यायालय ने **गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009) 10 एससीसी 636** में अवलोकन किया है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय के लिए अवर न्यायालय द्वारा निकाले गए साक्ष्यों और निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करना खुला है। हालांकि, यह उन वादों तक सीमित है, जहाँ अवर न्यायालय का निर्णय विकृत था। इस न्यायालय ने आगे यह घोषित किया कि "विकृत" शब्द को, जैसा कि विधि में समझा गया है, "साक्ष्य के भार के विरुद्ध" के रूप में समझा गया है। यदि दो विचार हैं और अवर न्यायालय ने केवल इसलिए उन विचारों में से एक को अपनाया है क्योंकि दूसरा विचार प्रशंसनीय है, तो अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने में न्यायसंगत नहीं होगा।

13- उपरोक्त नोट की गई सुस्थापित विधिक स्थिति के आलोक में आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करते समय निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए हैं:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त और मृतक के बीच गोद लिए गए बच्चे शिवा उर्फ छोटू को लेकर विवाद अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या के पीछे का उद्देश्य था। हालांकि, उक्त शिवा उर्फ छोटू पी.डब्ल्यू.-8 ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा है कि वे छह भाई-बहन हैं और वह अपने परिवार में दूसरा सबसे बड़ा बेटा है, उसने आगे कहा कि उसका बड़ा भाई रवि है। साक्ष्य में यह बात आई है कि शिवा उर्फ छोटू की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी। शिवा उर्फ छोटू अभियुक्त की टेंट की दुकान पर मजदूर के रूप में काम करता था और उसके द्वारा अर्जित मजदूरी उसका बड़ा भाई एकत्र करता था। यह सिद्ध नहीं हो सका कि शिवा उर्फ छोटू का कोई सहारा नहीं था। इसलिए, अभियोजन उपरोक्त अभिकथित उद्देश्य को सिद्ध करने में विफल रहा है।

ii. सागर पी.डब्ल्यू.-1 ने अपने बयान में कहा है कि उसके पिता (अभियुक्त) और माता (मृतक) के बीच सभी झगड़े और विवाद केवल उसके पिता द्वारा खाने-पीने के लिए आवश्यक धन की निरंतर मांग के कारण होते थे। अपनी प्रति-परीक्षा में, उसने कहा कि उसके पिता (अभियुक्त) टेंट का व्यवसाय कर रहे थे और टेंट से संबंधित सभी उपकरण उसके पिता के थे। उसके पिता शादी समारोहों में टेंट लगाते थे और इस प्रकार प्रत्येक टेंट बुकिंग से हजारों रुपये कमा रहे थे। उसके पिता परिवार को कोई पैसा नहीं देते थे। हालांकि, उसने पहले कहा था कि उसके पूरे परिवार की सारी आय उसकी माँ (मृतक) के पास रहती थी। ये दोनों बयान विरोधाभासी थे।

iii. बचाव पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों ने सिद्ध किया कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी (मृतक और सूचनादाता की माँ) के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित कराया था और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों ने इसे संदिग्ध बना दिया कि अभियुक्त का मृतक के साथ धन को लेकर कोई विवाद था। इसलिए, अभियोजन सूचनादाता सागर द्वारा पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में अपने बयान में बताए गए, अभिकथित दूसरे उद्देश्य को भी सिद्ध करने में विफल रहा।

iv. हेमेंद्र सिंह डी.डब्ल्यू.-1 ने सिद्ध किया है कि सूचनादाता पी.डब्ल्यू.-1 दिनांक 09.01.2024 को दोपहर 01:05 बजे से शाम 06:40 बजे तक कान्हा गौशाला, नगर निगम, मुरादाबाद में उपस्थित रहा, जो साक्ष्य घटना के समय सूचनादाता की उपस्थिति पर संदेह पैदा करता है।

v. सागर पी.डब्ल्यू.-1 ने अपने बयान में एक स्थान पर कहा है कि घटना का समय दोपहर 12:00 बजे है, और दूसरे स्थान पर कहा है कि घटना का समय शाम 07:00 बजे है। सूचनादाता घटना के समय में सुधार करने के बावजूद घटना का सही समय नहीं बता सका। दूसरे स्थान पर उसने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्वीकार किया कि उसकी ड्यूटी का समय दोपहर 01:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक था और वह घटना के दिन शाम 05:30 बजे लौट आया था। उसने यह भी कहा था कि वह दोपहर लगभग 12:00 बजे मौके पर पहुँचा और अपनी माँ को दोपहर 01:30 बजे एम्बुलेंस में ले गया, घटना के समय और मौके पर उसके पहुँचने के संबंध में उसका पूरा बयान विरोधाभासों से भरा है, जो विमल-पी.डब्ल्यू.-3 के बयान की सत्यता पर और संदेह पैदा करता है।

vi. दीपिका पी.डब्ल्यू.-2 (जो सूचनादाता की सगी बहन और विमल पी.डब्ल्यू.-3 की पत्नी है) ने बयान में कहा है कि घटना के समय वह अपने ससुराल में थी। उसने आगे कहा कि उसे घटना की सूचना अपने पति से मिली थी।

vii. शिवा उर्फ छोटू पी.डब्ल्यू.-8 के साक्ष्य में यह बात आई है कि आकाश (जो मृतक का पुत्र है) और अभियुक्त कोई काम नहीं कर रहे थे और घटना के समय उक्त आकाश कहाँ था, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। आकाश को आरोप-पत्र में एक साक्षी के रूप में दिखाया गया था, हालांकि अभियोजन के अनुरोध पर उसे अभियोजन साक्ष्य से मुक्त कर दिया गया है।

viii. अपराध के अभिकथित हथियार अर्थात् चाकू की बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

ix. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, अर्थात् प्रदर्श क-17 के अनुसार, अभिकथित हत्या के हथियार पर मानव रक्त पाया गया है। हालांकि, मृतक का कोई रक्त नमूना नहीं लिया गया था, ताकि हत्या के हथियार पर पाए गए रक्त से उसकी तुलना की जा सके। इसलिए, मृतक का रक्त नमूना एकत्र करने में विफलता और परिणामस्वरूप रक्त नमूने का मिलान करने में असमर्थता अभिकथित बरामदगी पर संदेह पैदा करती है।

x. अभियुक्त की निशानदेही पर अभिकथित हत्या के हथियार की बरामदगी अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि अभियुक्त ने अपराध करने में ऐसे हथियार का उपयोग किया था।

xi. हेमेंद्र सिंह डी.डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सूचनादाता अभिकथित घटना स्थल पर शाम 06:00 बजे मौजूद नहीं था। जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अभियोजन की पूरी कहानी के साथ-साथ अभियोजन साक्ष्यों का साक्ष्य भी संदिग्ध हो जाता है। हत्या के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हथियार की अभिकथित बरामदगी के समय इलाके का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जैसे वार्ड सदस्य, नगर पार्षद आदि।

xii. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 धारदार घाव प्रकट हुए हैं, और इस पृष्ठभूमि में, जब मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के 10 प्रहार किए गए थे, फिर भी वह नहीं चिल्लाई। यदि अभियुक्त द्वारा ऐसी गंभीर चोटें पहुँचाई गई थीं, तो किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के कपड़े पर खून क्यों नहीं देखा। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त के कपड़ों पर खून के धब्बे थे या नहीं थे।

xiii. घटना का पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-3 के अलावा कोई अन्य साक्षी नहीं है। पी.डब्ल्यू.-1 की उपस्थिति संदिग्ध पाई गई है, जो स्वतः ही पी.डब्ल्यू.-3 की उपस्थिति पर भी संदेह पैदा करती है। इसलिए, वर्तमान वाद में अभियुक्त की संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है।

xiv. वर्तमान वाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट परामर्श और विचार-विमर्श के बाद दर्ज की गई थी और ऐसी एफ.आई.आर. अभियोजन के प्रकरण के लिए घातक है।

xv. विवेचना अधिकारी ने वर्तमान वाद में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में उचित तत्परता नहीं बरती है। गहन विवेचना का पूर्ण अभाव है और विवेचना अधिकारी ने वर्तमान वाद की आसपास की परिस्थितियों का विश्लेषण और विवेचना किए बिना आरोप-पत्र दाखिल किया है।

xvi. अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अंतर्गत लगाए गए, आरोपों को उचित संदेह से परे सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है।

14- अपने निष्कर्ष दर्ज करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/विपक्षी को संदेह का लाभ दिया है और इस प्रकार उसे उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

15- निर्विवाद रूप से, वर्तमान वाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित वाद के विश्लेषण के संबंध में विधि सर्वोच्च न्यायालय के शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 के निर्णय में स्पष्ट है। रिपोर्ट के प्रस्तर 153 से 154 प्रासंगिक हैं और तदनुसार, उन्हें यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"153. इस निर्णय का सूक्ष्म विश्लेषण यह दर्शाता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध वाद पूरी तरह से स्थापित कहे जाने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) वे परिस्थितियां जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियां 'होनी चाहिए या होनी ही चाहिए' न कि 'हो सकती हैं' स्थापित की जानी चाहिए। 'सिद्ध किया जा सकता है' और 'सिद्ध किया जाना चाहिए या किया ही जाना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरण संबंधी बल्कि विधिक अंतर भी है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **शिवाजी सहाबराव बोबाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य** के वाद में धारित किया गया था, जहाँ निम्नलिखित अवलोकन किए गए थे: (एस.सी.सी. प्रस्तर 19, पृ. 807)

19. ... निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने से पहले अभियुक्त को दोषी होना ही चाहिए, न कि केवल हो सकता है, और 'हो सकता है' तथा 'होना ही चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए,

(3) परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अलावा प्रत्येक संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

154. ये पाँच स्वर्ण सिद्धांत, यदि हम ऐसा कह सकें, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित वाद के प्रमाण के 'पंचशील' का गठन करते हैं।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16- सूचनादाता-अपीलार्थी ने पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में अपने बयान में, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में दर्ज है, कहा है कि वह शाम को लगभग 06:00 बजे अपने घर पहुँचा और अपने पिता को घर से जाते हुए देखा। हालांकि, अपनी प्रति-परीक्षा में उसने पहले घटना का समय दोपहर 12:00 बजे बताया, और उसके बाद कहा कि घटना शाम 07:00 बजे हुई। इस साक्षी ने अपनी आगे की प्रति-परीक्षा में यह भी कहा है कि उसका जीजा विमल, उसे दौलतबाग में 11:00 से 12:00 बजे मिला जहाँ से वे काटघर गए और काटघर से वे अपने घर आए। उसने आगे कहा कि वे दोपहर लगभग 12:00 बजे अपने घर पहुँचे। साक्षी के इस बयान की पुष्टि उसके बयान से और अधिक होती है, जिसमें उसने कहा था कि वह अपनी माँ को दोपहर 01:30 बजे एम्बुलेंस में अस्पताल ले गया। लिखित तहरीर प्रदर्शक-1 में घटना का समय शाम 06:00 बजे बताया गया है, जबकि यह साक्षी अपनी प्रति-परीक्षा में अपने घर पहुँचने के समय और/या घटना के समय पर सुसंगत नहीं है। इसलिए, उसके वास्तविक समय पर मौके पर पहुँचने के संबंध में उसके बयान में विसंगतियाँ इतनी स्पष्ट हैं कि मौके पर उसकी उपस्थिति ही संदिग्ध हो जाती है।

17- इसके अलावा पी.डब्ल्यू.-1 के अपने घर पहुँचने के समय के संबंध में विसंगतियों की पृष्ठभूमि में, बचाव पक्ष ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि वह दोपहर 12:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक ड्यूटी पर था। जो तथ्य एफ.आई.आर. में वर्णित घटना के समय मौके पर उसकी उपस्थिति पर भी गंभीर संदेह पैदा करता है। जब सूचनादाता-अपीलार्थी पी.डब्ल्यू.-1 की उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है, तो अन्य साक्षी विमल पी.डब्ल्यू.-3 की उपस्थिति स्वतः ही संदिग्ध हो जाती है।

18- विमल पी.डब्ल्यू.-3 ने अपने बयान में कहा है कि वे मौके पर शाम लगभग 06:00 बजे पहुँचे। इसके अलावा, पी.डब्ल्यू.-3 ने अपनी प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया है कि वह न्यायालय के अंदर था, जब न्यायालय में पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में उसकी पत्नी का बयान दर्ज किया जा रहा था और वह अपने मोबाइल पर था और व्हाट्सएप का उपयोग कर रहा था, जब पीठासीन अधिकारी डायस पर बैठे थे। इस साक्षी की आगे की प्रति-परीक्षा से पता चला कि वह सुबह लगभग 10:30 बजे दौलतबाग में अपने मित्र विक्रम से मिलने गया था। जबकि सूचनादाता-अपीलार्थी पी.डब्ल्यू.-1 ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा है कि वह अपने भाई विमल पी.डब्ल्यू.-3 से दोपहर लगभग 12:00 बजे मिला। पी.डब्ल्यू.-1 ने आगे कहा कि वह अपने जीजा के घर गया और सुबह लगभग 09:00 बजे वहाँ पहुँचा और वह वहाँ लगभग 15-20 मिनट रुका। वहाँ से उसका जीजा उसे गुलाबबाड़ी ले गया,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जहाँ वह लगभग आधे घंटे रुका, और वहाँ से वे दौलतबाग पहुँचे। हालांकि, विमल पी.डब्ल्यू.-3 ने अपने बयान में कहा है कि सूचनादाता-अपीलार्थी उसे अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद दौलतबाग में मिला, जहाँ वह अपने दोस्त से पैसे लेने गया था। इसलिए, घटना के दुर्भाग्यपूर्ण दिन की सुबह हुई, उनकी मुलाकात के संबंध में इन साक्षीगण के बयानों में तीव्र विरोधाभास है।

19- परिस्थितियों की समग्रता में, घटना की तिथि, समय और स्थान पर सूचनादाता-अपीलार्थी पी.डब्ल्यू.-1 की उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है, जो स्वतः ही उसके जीजा विमल पी.डब्ल्यू.-3 की उपस्थिति को, खासकर ऊपर बताए अनुसार उनके बयानों में तीव्र विरोधाभासों के आलोक में संदिग्ध बना देती है।

20- अभियोजन का यह प्रकरण है कि अभिकथित हत्या का हथियार अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया था, हालांकि अभिकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त हत्या के हथियार अर्थात् चाकू को एफ.एस.एल. भेजा गया था और एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श क-17 के अनुसार उस पर मानव रक्त पाया गया था। हालांकि, मृतक का कोई रक्त नमूना नहीं लिया गया था, इसलिए, अभिकथित हत्या के हथियार पर पाए गए रक्त की तुलना मृतक के रक्त से नहीं किया जा सकता।

21- बचाव पक्ष ने हेमेंद्र सिंह को डी.डब्ल्यू.-1 के रूप में परीक्षित किया है और डी.डब्ल्यू.-1 का बयान स्पष्ट है कि सूचनादाता-अपीलार्थी दोपहर 01:05 बजे से शाम 06:40 बजे तक अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। इस बचाव साक्षी ने विचारण न्यायालय में उपस्थिति रजिस्टर प्रस्तुत किया है और सूचनादाता-अपीलार्थी पी.डब्ल्यू.-1 ने अपने बयान में कहा है कि जब भी वह पहले आता था, कान्हा गौशाला का गार्ड उसके बाहर निकलने का समय दर्ज करता था। डी.डब्ल्यू.-1 ने आगे कहा कि वह घटना की तिथि को शाम 05:30 बजे कान्हा गौशाला से बाहर आया और गार्ड द्वारा रजिस्टर में उक्त समय दर्ज किया गया था। हालांकि, डी.डब्ल्यू.-1 ने अपने बयान में एक सुसंगत कथन दिया है कि सूचनादाता-अपीलार्थी दिनांक 09.01.2024 को दोपहर 01:05 बजे से शाम 06:40 बजे तक कान्हा गौशाला में उपस्थित था। इस साक्षी अर्थात् डी.डब्ल्यू.-1 ने अपनी प्रति-परीक्षा में आगे कहा कि प्रवेश और निकास का समय संबंधित कर्मचारी द्वारा स्वयं दर्ज किया जा रहा है। इस साक्षी के बयान के आलोक में प्रवेश और निकास का समय स्वयं सूचनादाता-अपीलार्थी द्वारा क्रमशः दोपहर 01:05 बजे और शाम 06:40 बजे दर्ज किया गया है, इसलिए, इसके बीच कान्हा गौशाला में उसकी उपस्थिति स्थापित है। कान्हा गौशाला से शाम 05:30 बजे उसके बाहर निकलने का कोई अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उल्लेख नहीं है, इसलिए, बचाव पक्ष ने घटना के प्रासंगिक समय पर कान्हा गौशाला में सूचनादाता-अपीलार्थी पी.डब्ल्यू.-1 की उपस्थिति सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

22- लिखित रिपोर्ट/तहरीर प्रदर्श क-1 में हत्या का उद्देश्य सूचनादाता-अपीलार्थी की माँ द्वारा उसके कथित दत्तक पुत्र छोटू के प्रति दिखाए गए प्रेम और स्नेह को बताया गया था, जो सूचनादाता-अपीलार्थी के पिता अर्थात अभियुक्त भूरे को पसंद नहीं था। हालांकि, अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि उक्त छोटू, जिसे अभियोजन पक्ष में पी.डब्ल्यू.-8 के रूप में परीक्षित किया गया है, मृतक का दत्तक पुत्र था। शिवा उर्फ छोटू पी.डब्ल्यू.-8 के बयान ने स्थापित किया कि वह दूसरे परिवार से है और मृतक के साथ उसके टेंट व्यवसाय में काम कर रहा था और उसके द्वारा जो भी मजदूरी अर्जित की जाती थी, वह उसके बड़े भाई को प्राप्त होती थी। इसलिए, अभियोजन प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित उद्देश्य को सिद्ध करने में विफल रहा है। सूचनादाता-अपीलार्थी सागर पी.डब्ल्यू.-1 ने अपने बयान में घटना का एक अन्य उद्देश्य बताया है कि उसके पिता अपने खाने-पीने के लिए लगातार पैसे मांग रहे थे। चूँकि उसके पूरे परिवार की सारी आय उसकी माँ के पास रहती थी। इसलिए, उसके पिता (अभियुक्त) और माता (मृतक) के बीच लगातार लड़ाई और झगड़ा होता था। हालांकि, उसके बयान में यह रिकॉर्ड पर आया है कि उसके पिता अच्छा कमा रहे थे, जहाँ छोटू पी.डब्ल्यू.-8 भी काम कर रहा था और मजदूरी कमा रहा था। यह भी अभिलेख पर आया है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी अर्थात मृतक के नाम पर एक विक्रय विलेख प्राप्त किया था। जिसका अर्थ यह है कि अभियुक्त और मृतक के बीच कोई वित्तीय विवाद नहीं था। इसलिए, अभियोजन साक्ष्य के दौरान विकसित किए गए कथित दूसरे उद्देश्य को भी सिद्ध करने में विफल रहा। वर्तमान वाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए, उद्देश्य प्रासंगिक है, और भी अधिक तब जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में विशिष्ट उद्देश्य दिया गया हो, लेकिन अभियोजन उक्त उद्देश्य को सिद्ध करने में विफल रहा है और यहाँ तक कि साक्ष्य के दौरान विकसित किए गए बाद के उद्देश्य को भी अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका। इसलिए, अभियोजन की पूरी कहानी संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई है।

23- सर्वोच्च न्यायालय ने "भास्करराव व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य", (2018) 6 एससीसी 591 के वाद में प्रस्तर संख्या 14, 15 और 23 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

*"14. चूँकि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का*

*विश्लेषण करने के बाद, बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष निकाले हैं, इसलिए यहाँ कुछ साक्षी*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कथनों का अवलोकन करना अनिवार्य है, जिनका इस वाद में महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। अपीलीय चरण में साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में, हमें **तोता सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य, 1987 क्रि एलजे 974** में व्यक्त इस न्यायालय के विचारों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह नहीं पाया है कि पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-6 की गवाही को खारिज करने के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण या तो अनुचित थे या विकृत थे। उच्च न्यायालय ने जो किया है, वह अपने स्तर पर साक्ष्य का स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन करना और केवल इस आधार पर दोषमुक्ति को निरस्त करना है कि ऐसे पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचने का इच्छुक था।

इस न्यायालय ने बार-बार यह बताया है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर एक निष्कर्ष पर पहुँचने की मात्र इच्छा, जो अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में दर्ज निष्कर्ष से भिन्न है, दोषमुक्ति को निरस्त करने के लिए एक वैध और पर्याप्त आधार नहीं बनेगा। दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील से निपटने में अपीलीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस सीमा तक सीमित है कि दोषमुक्ति के आदेश में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वाद में साक्ष्य पर विचार करने के लिए अवर न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण किसी प्रत्यक्ष अवैधता से दूषित न हो या अवर न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष ऐसा न हो, जिस पर संभवतः किसी भी न्यायालय द्वारा तर्कसंगत और न्यायिक रूप से कार्य करते हुए नहीं पहुँचा जा सकता था और इसलिए, उसे विकृत के रूप में वर्णित किए जाने योग्य हो।

जहाँ वाद में प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर दो विचार संभव हैं और अवर न्यायालय ने एक ऐसा विचार लिया है जो प्रशंसनीय है, अपीलीय न्यायालय विधिक रूप से दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, भले ही उसकी यह राय हो कि साक्ष्य पर विचार करने पर अवर न्यायालय द्वारा लिया गया विचार त्रुटिपूर्ण है।'

**15. रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, 1996 क्रि एलजे 2867** में, इस न्यायालय ने अवलोकन किया:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस न्यायालय ने बार-बार यह निर्धारित किया है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए विचार के अलावा किसी अन्य विचार पर वैध रूप से पहुँचना दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए एक वैध और पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है, जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर न पहुँच जाए कि साक्ष्य से निपटने में विचारण न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण प्रत्यक्ष रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर थे। दोषमुक्ति पर निर्णय सुनाते समय अपीलीय न्यायालय को सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर खोजना आवश्यक है कि क्या विचारण न्यायालय के निष्कर्ष प्रत्यक्ष रूप से गलत, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण या प्रदर्शनकारी रूप से अस्थिर हैं। यदि अपीलीय न्यायालय उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देता है तो दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।'

23. इससे पहले कि हम वाद के विश्लेषण की ओर बढ़ें, हमें पहले उस पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध वाद की सुनवाई करते समय लागू किए जाने वाले मानक से संबंधित है। वर्तमान वाद में, विचारण न्यायालय, एक पूर्ण विचारण के बाद, निष्कर्ष पर पहुँचता है और ठोस तर्क द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करता है। ऐसे वाद में अपीलीय न्यायालय पर अभियुक्त की निर्दोषता की पुनः पुष्टि करने का अतिरिक्त भार होता है। ऐसे प्रकरणों में, अपीलीय न्यायालय से बहुत सतर्क रहने की अपेक्षा की जाती है और दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता तभी होती है, जब सम्मोहक कारण और ठोस आधार हों। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को उस साक्ष्य की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है, जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दोषमुक्ति से अभियुक्त की निर्दोषता की उपधारणा को और अधिक बल मिलने के कारण, उस न्यायालय के निष्कर्षों को, जिसे साक्ष्यों को देखने और उनके साक्ष्य सुनने का लाभ मिला था, केवल बहुत महत्वपूर्ण और सम्मोहक कारणों के लिए ही उलटा जा सकता है (सूरजपाल सिंह व अन्य बनाम राज्य, 1952 क्रि एलजे 331 देखें)।"

24- उपरोक्त संदर्भित चर्चा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय ठोस कारणों पर आधारित है। हमें निर्णय में ऐसी कोई विकृति नहीं मिली है, जिससे अवर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सके। अवर न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के उचित विश्लेषण का परिणाम है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी भी गलत व्याख्या या चूक की ओर इशारा नहीं किया जा सका। तथ्य का अंतिम न्यायालय होने के नाते, हमने स्वयं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का मूल्यांकन किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आक्षेपित निर्णय में कोई विकृति है या अवर न्यायालय ने किसी भौतिक साक्ष्य का गलत अर्थ निकाला है। हालांकि, हम अभिलेख से ऐसा कोई तथ्य नहीं जुटा सके, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अवर न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के भार के विरुद्ध है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार केवल अभियुक्त के दोष के अनुरूप विचार ही संभव है। इसलिए, हमें धारा 413 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दायर वर्तमान अपील को स्वीकार करने का कोई उचित आधार नहीं मिला है, जो परिणामस्वरूप विफल होती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

25- इस न्यायालय के निर्णय को विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद पत्रावली अभिलेखागार में संचित किया जाए।

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

12 जनवरी, 2026

आशीष/-